मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र. एफ. 11/17/2014/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में तृतीय समयमान वेतन (Time Scale Pay).

संदर्भ.—वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार/, दिनांक 24 जनवरी 2008.

संदर्भित परिपत्र द्वारा लागू समयमान वेतनमान योजना को विस्तारित करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों को उनके पूर्ण शासकीय सेवाकाल में न्यूनतम तीन उच्च वेतनमान उपलब्ध कराए जायें. अत: वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के अनुसार प्रभावशील समयमान योजना को विस्तारित करते हुए तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है.

2. राज्य की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें "अ", "ब" एवं "स" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात् ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 1-7-2014 अथवा इसके बाद की तिथि से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी. शासकीय सेवक की तीसरे समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से किसी सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी.

3. राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजनान्तर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, को भी 30 वर्ष की सेवा के उपरान्त तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी परन्तु ऐसे संवर्गों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिये मंत्रि-परिषद् आदेश पृथक् से प्राप्त किये जाने आवश्यक होंगे.

4. राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों को जिनके मूल पद के वेतनमान का उन्नयन दिनांक 1-4-2006 एवं इसके पश्चात् किया गया है, की तृतीय समयमान वेतन की पात्रता के लिये संशोधित वेतनमान में पूर्व नियुक्ति तिथि से काल्पनिक नियुक्ति मानी जाएगी.

5. विभिन्न वेतनमानों के लिये परिशिष्ट-1 के अनुसार तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन देय होगा. किसी संवर्ग को तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के तुल्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन पूर्व (द्वितीय समयमान वेतन आदि) से उपलब्ध होने की स्थिति में तृतीय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के निर्धारण के लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए.

6. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं इसके क्रम में जारी निर्देशों की अन्य शर्तें तथा प्रक्रियाएं यथास्थिति लागू रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./
(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.